

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./टेक/आई.एम./122/ 104

दिनांक 05.05.2015
06

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ द्वारा प्रयोगशाला स्थित टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल चेम्बर की निम्नानुसार मरम्मत हेतु लिमिटेड कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं -

Sl. No.	Description of work/item
1.	Replacement of compressor under buyback with old (faulty) compressor
2.	Compressor relay set with starting/running capacitor
3.	Replacement of heating blower
4.	Replacement of cooling blower
5.	Replacement of condenser blower
6.	Replacement of SSR
7.	Refilling of refrigerant Nitrogen

इस संबंध में *नियम व शर्तें* निम्नानुसार है-

01. कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 08.06.2015 सायं 5.00 बजे तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए।
02. कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा कोटेशन कमाँक जेड.ओ. एल./टेक/आईएम/122/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।

03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. कोटेशन पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. इच्छुक फर्म टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल चेम्बर का निरीक्षण 05.06.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे तक कर सकते हैं।
06. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
07. दिए गए दर रिपेरिंग/सर्विसिंग के समस्त कार्य एवं सर्विस चार्ज इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। सेवाकर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
08. सर्विसिंग एवं बदले गये पार्ट्स की वारंटी कम्पनी की पॉलिसी के अनुसार स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।
09. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. उक्त कार्य का भुगतान संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर चेक द्वारा किया जायेगा।
11. कोटेशन चयनित होने पर जारी किये जाने वाले कायदेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
12. कृपया अपनी कोटेशन को अच्छी तरह मुहरबंद करके भेजें अन्यथा कोटेशन को निरस्त किया जा सकता है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14. टाइपिंग या लिपकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

- ✓ 1. प्रभारी, आई.टी. डिवीजन, मुख्यालय, दिल्ली - कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. प्रभारी, प्रयोगशाला, आँ. कार्या. लखनऊ
3. कार्यालय प्रति, आँ. कार्या. लखनऊ


अनुभाग अधिकारी

For n/a, pl

3/5/15

~~Sc: CCA~~
DPA

3/5/15